*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

पत्रांक–2ब०/वि०श०–23–01/2015 165 /न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 8/1/2020

**विषयः–** **वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न नगर निकायों में शवदाह गृह निर्माण हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 65, दिनांक– 27.09.2018 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटनादेश सं०– 09, दिनांक– 27.09.2018 द्वारा आवंटित राशि ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रू०) मात्र में से नगर परिषद्, सीतामढ़ी को आवंटित राशि ₹68.98400 (अड़सठ लाख अनठानवे हजार चार सौ रू०) मात्र की निकासी नहीं किये जाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष, 2019–20 में उक्त राशि के सहायक अनुदान के रूप में पुनः स्वीकृति।**

**आदेशः– स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, रिविलगंज में शवदाह गृह निर्माण संबंधित कुल ₹270.22600 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख बाईस हजार छः सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति राज्यादेश सं०– 65, दिनांक– 27.09.2018 द्वारा प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति आवंटनादेश सं०– 09, दिनांक– 27.09.2018 द्वारा दी गई थी।

उक्त दी गई स्वीकृति में नगर परिषद्, सीतामढ़ी को वित्तीय वर्ष 2018–19 में शवदाह गृह के निर्माण हेतु कुल ₹245.776 लाख (दो करोड़ पैतालीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नागरिक सुविधा मद से तत्काल कुल ₹68.984 लाख ( अड़सठ लाख अनठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत दी गई थी।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी के पत्रांक– 426, दिनांक– 18.11.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवंटित राशि की निकासी नगर परिषद्, सीतामढ़ी द्वारा नहीं हो सकी है। इस संबंध में वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार कार्यालय, सीतामढ़ी द्वारा निर्गत अनिकासी प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए उक्त राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 04 के अनुरूप प्रदत्त कुल राशि ₹245.776 लाख (दो करोड़ पैतालीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 05 के अनुरूप वित्तीय वर्ष, 2018–19 में स्वीकृत ₹68.984 लाख (अड़सठ लाख अनठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र की निकासी नहीं होने के कारण पुनः वित्तीय वर्ष, 2019–20 में स्तम्भ– 05 के अनुरूप कुल राशि ₹68.984 लाख ( अड़सठ लाख अनठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | निकाय का नाम | योजनाओं का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | तत्काल स्वीकृत राशि | अवशेष राशि (4–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | नगर परिषद्, सीतामढ़ी | नगर परिषद्, सीतामढ़ी में 01 Electric Furnace का विद्युत शवदाह गृह निर्माण के संबंध में। | 215.61600 | 53.90400 | 161.71200 |
| 2 | | नगर परिषद्, सीतामढ़ी में 04 Pyre Conventional शवदाह गृह का निर्माण। | 30.16000 | 15.08000 | 15.08000 |
| | | योग | **245.776** | **68.984** | **176.792** |

**अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹68.984 लाख (अड़सठ लाख अनठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र।**

4. ***तालिका के क्रमांक– 01 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन सम्प्रति बुडको (बिहार राज्य जल पर्षद्) द्वारा तथा क्रमांक– 02 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।***

5. उक्त स्वीकृत ₹68.984 लाख (अड़सठ लाख अनठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 687, दिनांक– 19.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर परिषद्, सीतामढ़ी के PL खाता में राशि का हस्तांतरण CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online किया जाएगा। **तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी द्वारा उपरोक्त तालिका के क्रमांक– 01 पर अंकित योजना का कार्यकारी एजेंसी, बुडको को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. आवंटित राशि ₹68.984 लाख ( अड़सठ लाख अनठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

10 उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती हैः–

(i) ***तालिका के क्रमांक– 01 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन समप्रति बुडको (बिहार राज्य जल पर्षद्) द्वारा तथा क्रमांक– 02 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।***

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के पश्चात् इसके रख–रखाव तथा विद्युत विपत्र की राशि नगर निकाय वहन करेगा।

(v) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(vi) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/वि०श०–23–01/2015 के पृष्ठ सं०– 71/टि० पर दिनांक– 27.12.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 73/टि० पर दिनांक– 01.01.2020 को प्राप्त है ।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

Sd/- 07.01.20

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब०/वि०श०–23–01/2015 165 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 8/1/2020

**प्रतिलिपिः**– प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 07.01.20

**सरकार के विशेष सचिव।**